

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर छ0ग0

क्रमांक / ५० / स्था.अवि.-04 / 2021

जशपुर दिनांक..... 3/3/2021

// आदेश //

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/संचा/स्टेनो/768 नवा रायपुर दिनांक 05.10.2020 एवं पत्र क्रमांक/डीएचएस/स्टेनो/2020/962 नवारायपुर अटलनगर दिनांक 23.12.2020 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य आपदा मोचन निधि से प्राप्त राशि एवं अन्य कोविड-19 के कार्यों हेतु प्राप्त निधि के व्यवसायिक सेवा मद से संक्रमण से रोकथाम नियंत्रण एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 03 माह की अवधि के लिए लैब अटेण्डेंट लिए जाने की अनुमति प्राप्त हुई है। चयनित उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित निश्चित संविदा दर रूपये 12000=00 (बारह हजार रु. मात्र) एकमुश्त प्रतिमाह मानदेय देय होगा।

चयन सूची:-

अनारक्षित वर्ग में चयनित अभ्यर्थी (लैब अटेण्डेंट) की सूची:-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	कार्य लिये जाने का स्थल
1	रेखा यादव	श्री केशबो राम यादव	सामान्य	ग्रा. पो पालीडीह विख पत्थलगांव	ट्रुनॉट लैब जशपुर छ0ग0


अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अभ्यर्थी (लैब अटेण्डेंट) की सूची:-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	कार्य लिये जाने का स्थल
1	भुवनेश्वर पैकरा	श्री बसंत राम	अ.ज.जा.	ग्रा. पो बासबहार विख कासाबेल जशपुर छ0ग0	ट्रुनॉट लैब जशपुर छ0ग0
2	ओम प्रकाश ध्रुव	नंदलाल ध्रुव	अ.ज.जा.	ग्रा. बालाझर पो.तमता विख पत्थलगांव जशपुर छ0ग0	ट्रुनॉट लैब जशपुर छ0ग0

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

कार्य में लिए जाने की शर्त:-


1. प्रथम उपस्थिति के समय जिला चिकित्सा मण्डल से स्वास्थ्य प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. यह आदेश तीन माह तक कार्य लिये जाने हेतु प्रसारित है।
3. कार्यवधि में कदाचरण/चरित्रहीनता/लापरवाही पाये जाने पर कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।
4. उपरोक्त शर्त स्वीकार होने पर चयनित अभ्यर्थी को आदेश जारी के 10 दिवस के अन्दर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जशपुर छ0ग0 के कार्यालय में उपस्थित होकर मूल दस्तावेज की जांच कराने के पश्चात उनके नाम के समक्ष कार्य किये जाने वाले स्थल पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे। दस्तावेज 02 सेट में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. कार्य एवं कार्यवधि के विषय में उच्च स्तरीय प्रशासकीय/विभागीय निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी, उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी के द्वारा किसी प्रकार के दावे नहीं किये जा सकेंगे।
6. यह आदेश मात्र कार्य में लिये जाने हेतु है इसे नियुक्ति आदेश न समझा जावें।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला जशपुर छ0ग0

पृक्रमांक / 339/स्था.अवि.-04
प्रतिलिपि:-

जशपुर दिनांक..... 3/3/2021

1. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ अटलनगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटलनगर नवा रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला जशपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्वास्थ्य, जिला पंचायत जशपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय जशपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु0स्वा0केन्द्र कासाबेल/पत्थलगांव जिला जशपुर छ0ग0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। संबंधितों के उपस्थिति की सूचना अद्योहस्ताक्षर कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
7. जिला सर्वेलेन्स अधिकारी - आईडीएसपी, स्थानीय कार्यालय जशपुर को सूचनार्थ।
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्थानीय कार्यालय जशपुर को सूचनार्थ।
9. लेखा शाखा, स्थानीय कार्यालय जशपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी को पालनार्थ।
11. कार्यालयीन प्रति।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला जशपुर छ0ग0